उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग-2
संख्या- 01/2017-1387/49-2-2017-148(11)/2017
लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

श्री वीरेश्वर सिंह, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) के दिनांक 31-07-2017 को अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाने एवं नियुक्ति विभाग द्वारा इस पद पर सम्प्रति कोई नियुक्ति नही किये जाने के कारण शासकीय कार्यहित में नियुक्ति विभाग / शासन के अग्रिम आदेशों तक प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (पी0सी0एफ0) के पद के दायित्वों (प्रशासनिक एवं वित्तीय) का निर्वहन आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

इस हेतु कोई वेतन/भत्ता आदि पृथक से अनुमन्य नही होगें।

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 01/2017-1387/49-2-2017-148(11)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, प्रशासन, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
5- अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन, लि0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ)
7- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, मा0 सहकारिता राज्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग, उ0प्र0शासन।
11- सूचनाधिकारी, मा0 सहकारिता मंत्री जी।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।